

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठारीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./34/2023

1. नाथू पुत्र सूवा
2. रूपा पत्नी सुवा
3. प्रहलाद पुत्र अन्ना
4. बरजी पत्नी अन्ना
5. श्रवण पुत्र अन्ना
6. सुखलाल पुत्र अन्ना
7. सांवरा पुत्र अन्ना समस्त जातिगण भील निवासीगण केरियाखुर्द तहसील भिनाय केकड़ी प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरी पुत्री हरनाथ
2. काना पुत्र हरनाथ
3. देवा पुत्र हरनाथ
4. महावीर पुत्र हरनाथ
5. रामलाल पुत्र मांगू समस्त जातिगण खारोल निवासीगण केरियाखुर्द तहसील भिनाय केकड़ी
6. केमू पत्नी श्रीराम
7. कालू पुत्र रघुनाथ
8. दूदा पुत्र घीसा
9. दयाल पुत्र घीसा
10. प्रभु पुत्र श्रीराम
11. महेन्द्र पुत्र श्रीराम
12. रमती पत्नी रघुनाथ
13. सांवरा पुत्र रघुनाथ
14. गोपाल पुत्र देवा समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण केरियाखुर्द तहसील भिनाय केकड़ी
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी



अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री शम्मी मोहम्मद  
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा केरियाखुर्द पटवार क्षेत्र केरियाखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईखुर्द के खाता सं0 415 में दर्ज खसरा नं. 483/2809 रकबा 0.03, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.63, खसरा नं. 487 रकबा 0.66, खसरा नं. 550 रकबा 0.02 और खसरा नं. 551 रकबा 1.05, कुल किता 05 कुल रकबा 2.39 हैक्ट, खाता संख्या 417 में दर्ज खसरा नम्बर 482 रकबा 0.01 कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण रथाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 14 प्रार्थी की कब्जे काशत भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 15 सरकार जरिये

उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (केकड़ी)

तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 04, 05, 07 और 09 द्वारा पत्रावली में दर्ज प्रश्नगत आराजी में पत्थरगढी बाबत अनापत्ति प्रस्तुत की। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 03, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार भिनाय द्वारा पत्रावली में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी अकिंत की गई। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम केरियाखुर्द के खाता संख्या 415 व 417 संवत् 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा केरियाखुर्द पटवार क्षेत्र केरियाखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईखुर्द के खाता सं0 415 में दर्ज खसरा नं. 483/2809 रकबा 0.03, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.63, खसरा नं. 487 रकबा 0.66, खसरा नं. 550 रकबा 0.02 और खसरा नं. 551 रकबा 1.05, कुल किता 05 कुल रकबा 2.39 हैक्ट, खाता संख्या 417 में दर्ज खसरा नम्बर 482 रकबा 0.01 कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 हेतु नायब तहसीलदार नागोला को 1000/- रु(एक हजार रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दफतर हो।  
निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय, केकड़ी  
भिनाय (केकड़ी)